भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3124
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नेल्लोर में जन औषधि केंद्र

3124. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस बर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में खोले गए जन औषधि केंद्रों का वर्षवार और विधान सभा खंड-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि 2021-22 से नेल्लोर में केवल एक जेएके खोला गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) नेल्लोर में जेएके खोलने के लिए प्रस्तुत मांग/आवेदनों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंजूरी के लिए कोई आवेदन लंबित हैं और यदि हां, तो उन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है; और
(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ जेएके नहीं चल रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें खोलने के लिए उठाए गए / उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत दिनांक 30.11.2024 तक देश भर में कुल 14,320 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं, जिनमें से 9 जेएके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पिछले दस वर्षों के दौरान खोले गए हैं। नेल्लोर जिले में खोले गए जेएके की वित्तीय वर्षवार संख्या इस प्रकार है:-

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	खोले गए जेएके की संख्या
1	2014-15	0
2	2015-16	0
3	2016-17	2
4	2017-18	1
5	2018-19	3
6	2019-20	0
7	2020-21	0
8	2021-22	0
9	2022-23	0
10	2023-24	3
कुल		**9**

(ख): दिनांक 30.11.2024 तक, वर्ष 2021-22 से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 4 जेएके खोले गए हैं।

(ग) और (घ): पिछले एक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में जेएके खोलने के लिए कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 23 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 23 आवेदनों में से, 4 जेएके पहले ही खोले जा चुके हैं और 19 आवेदनों को आवेदकों द्वारा औषधि लाइसेंस जमा करने तक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। दूरी नीति के उल्लंघन और अधूरे दस्तावेज़ों के कारण 15 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया।

(ङ): चूंकि यह योजना उद्यमियों द्वारा संचालित है, इसलिए कभी-कभी कुछ जेएके स्थानांतरण, आबंटिती की मृत्यु, खराब व्यावसायिक संभावनाओं आदि जैसे कारणों से गैर-कार्यात्मक हो जाते हैं। उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली स्थान संबंधी समस्याओं के मामले में स्थान परिवर्तन का अवसर दिया जाता है। आबंटिती की मृत्यु होने पर, फार्मासिस्ट की नियुक्ति जैसी अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को स्वामित्व हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाती है।

*****